राजस्थान सरकार
उद्योग एवं वाणिज्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक प 1(20)उद्योग/ग्रुप–2/2022 जयपुर, दिनांक 11 OCT 2022

–: अधिसूचना :–

मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना

1. प्रस्तावना :–

राजस्थान राज्य में वाणिज्यिक वाहनों के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर सृजित किये जाने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की जा रही है। योजना का प्रमुख उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि करते हुए निजी क्षेत्र के संयुक्त सहयोग से रियायती मूल्य पर लघु वाणिज्यिक वाहन उपलब्ध करवाया जाना है। इस बाबत राज्य सरकार के वित्तीय वर्ष 2022–23 की बजट घोषणा संख्या 243.0.0 में प्रावधान किया गया है।

2. योजना का नाम एवं परिचालन अवधि :–

योजना का नाम **"मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना"** होगा। योजना अधिसूचित होने की तिथि से 31 मार्च 2023 तक प्रभावी रहेगी।

3. परिभाषाएं :–

(1) **योजना :** योजना से तात्पर्य मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना है।

(2) **लघु वाणिज्यिक वाहन :** ऐसे वाणिज्यिक वाहन जिनसे सामान परिवहन का कार्य किया जाता हो तथा जिसका भार 7500 किलोग्राम से अधिक न हो। इसमें ट्रैक्टर, बस, ट्रक एवं रोड़ रोलर आदि शामिल नहीं होगे।

(3) **परिवार :** परिवार से तात्पर्य पति, पत्नी एवं इनके नाबालिग बच्चे हैं।

4. योजना का स्वरूप :– योजना अंतर्गत राजस्थान राज्य के युवाओं को निजी क्षेत्र के वाहन निर्माताओं के सहयोग से रियायती मूल्य पर लघु वाणिज्यिक वाहन उपलब्ध करवाये जावेंगे। इस हेतु वाहन निर्माताओं से "एक्सप्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट " आमंत्रित किये जावेंगे। निर्धारित प्रक्रिया में सफल घोषित निर्माताओं के वाहनों को युवाओं को प्रदान किया जावेगा।

5. पात्रता :–

(1) राजस्थान राज्य का निवासी हो ।

(2) आवेदन तिथि को आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 45 वर्ष अथवा कम हो।

(3) एक परिवार से एक ही व्यक्ति योजना अंतर्गत पात्र होगा।

6. योजना का क्रियान्वयन :–

इस योजना का क्रियान्वयन उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अधीन जिलों में कार्यरत जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्रों के माध्यम से किया जाएगा। कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र राज्य स्तर पर योजना के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु नोडल एजेन्सी होगा।

7. ऋण एवं अनुदान की मात्रा :–

इस योजना के तहत आवेदक द्वारा लघु वाणिज्यिक वाहन के लिए बैंकों से अनुमत सीमा तक का ऋण लिया जा सकेगा। बिड जीतने वाली वाहन निर्माता कम्पनियों के माध्यम से वाहन क्रय करने वाले व्यक्तियों को अधिकतम 10 प्रतिशत अथवा 60000/– रूपये (जो भी कम) का अनुदान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा। किसी आवेदक द्वारा ऋण नहीं लेने पर भी उक्त अनुदान देय होगा। ऋणदात्री बैंक द्वारा गारंटी/सम्पार्श्विक प्रतिभूति के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों की पालना की जावेगी। वाहन निर्माता कम्पनी द्वारा भी एक्सप्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट में प्रदर्शित छूट अपनी ओर से क्रेता/आवेदक को दी जाएगी।

8. प्राप्त आवेदन पत्रों की छानबीन :–

योजनान्तर्गत वाहन क्रेता द्वारा लघु वाणिज्यिक वाहन क्रय के 30 दिवस में संबंधित जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र में अनुदान राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जावेगा। आवेदन के समय उनके द्वारा आवेदन प्रपत्र, वाहन रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, वाहन का बीमा, उम्र संबंधी प्रमाण पत्र, बैंक खाते संबंधी दस्तावेज योजना के पोर्टल पर ऑनलाईन किया जावेगा। योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों की छानबीन हेतु एक टास्क फोर्स का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्न सदस्य सम्मिलित होगें :–

(i)	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र	**अध्यक्ष**
(ii)	जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय का राजपत्रित अधिकारी	तकनीकी सदस्य
(iii)	जिला रोजगार अधिकारी अथवा राजपत्रित प्रतिनिधि	सदस्य
(iv)	विभाग में कार्यरत लेखा से संबंधित अधिकारी	सदस्य
(v)	महाप्रबन्धक, जि.उ.के. द्वारा मनोनीत विभागीय प्रतिनिधि	**सदस्य सचिव**

नोटः

1. टास्क फोर्स समिति की बैठक माह में कम से कम दो बार अनिवार्य रूप से आयोजित की जायेगी ।
2. उक्त समिति में लेखा प्रतिनिधि एवं जिला परिवहन कार्यालय के अधिकारी सहित न्यूनतम 3 सदस्यों का कोरम होना आवश्यक है।
3. सदस्य सचिव, जिला उद्योग अधिकारी एवं उच्च पद का होना आवश्यक है।

उक्त टास्क फोर्स समिति योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों की छानबीन कर आवेदक की आयु एवं दस्तावेजों के आधार पर आवेदनों को सूचीबद्ध करेगी। टास्क फोर्स समिति द्वारा आवेदन के पूर्ण रूप से उचित पाये जाने के पश्चात स्वीकृति जारी करते हुए आवेदक के बैंक खाते में हस्तान्तरित कर दी जावेगी।

9. योजना का क्रियान्वयन :–

(1) वाहन निर्माता/विक्रेता कम्पनी द्वारा राज्य के 33 जिलों में योजना के तहत पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को वाहन विक्रय किये जावेंगे। पात्रता वाले व्यक्ति द्वारा निर्धारित प्रपत्र में वांछित दस्तावेजों सहित वाहन क्रय के 30 दिवस में आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जावेंगे। 30 दिवस से अधिक देरी होने पर राज्य सरकार द्वारा छूट का लाभ नहीं दिया जावेगा।

(2) जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्रों में प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच उपरान्त चयनित किये जाने पर अनुदान हेतु 10 दिवस में स्वीकृति जारी करते हुए आवेदक के बैंक खाते में अनुदान राशि हस्तान्तरित कर दी जावेगी। **यह अनुदान "प्रथम आओ प्रथम पाओ" के आधार पर देय होगा**

(3) राज्य में समग्र रुप से योजना का सफल क्रियान्वयन एवं जरुरतमंद व्यक्ति को योजनान्तर्गत लाभान्वित कराने की दृष्टि से बैकवर्ड व फॉरवर्ड लिंकेज व्यवस्था को प्रभावी बनाया जायेगा। इसमें योजना के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु होर्डिंग्स, बैनर, पम्पलेट्स, पोस्टर्स सहित आधुनिक इलैक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग सहित जागरुकता शिविरों का आयोजन किया जावेगा। योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत संधारण, स्क्रूटनी एवं जाँच, टास्कफोर्स समिति की बैठकों का आयोजन, चयनित आवेदन पत्रों को अनुदान का भुगतान करना, रिकॉर्ड का संधारण एवं सूचनाओं के संप्रेषण हेतु उपयुक्त कार्यवाही सहित क्रियान्वयन संबंधी समस्त कार्य जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्रों द्वारा किया जावेगा।

(4) आवेदन पत्र का प्रारूप आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य द्वारा निर्धारित किया जावेगा।

10. लक्ष्यों का निर्धारण एवं मॉनिटरिंग :–

योजनान्तर्गत लक्ष्यों का निर्धारण राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2022–23 में किया गया है जिसके अनुसार सम्पूर्ण राज्य में 3300 पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया जायेगा।

11. निर्बन्धन एवं शर्तें :–

योजनान्तर्गत वाहन क्रय करने वाले व्यक्ति के परिवार को संपूर्ण राजस्थान में एक वाहन पर ही अनुदान दिया जावेगा।

12. प्रक्रिया व दिशा–निर्देश :–

योजना के सुचारू संचालन के संबंध में प्रक्रिया, दिशा निर्देशों के निर्धारण हेतु कार्यालय आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य सक्षम होंगे।

13. योजना में परिवर्तन एवं उसकी व्याख्या :–

इस योजना में किसी बिन्दु पर व्याख्या, संशोधन एवं परिवर्द्धन के अधिकार आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य, राजस्थान में निहित होंगे।

14. योजना अन्तर्गत अपात्र वाहन की सूची :–

निम्न वाहन योजनान्तर्गत सम्मिलित नहीं होंगे :–

1. ट्रैक्टर, 4 पहिये से अधिक पहिये वाले वाहन।
2. मिनी बस, बस, मिनी ट्रक, ट्रक एवं रोड़ रोलर।
3. 15 लाख रूपये से अधिक ऑन रोड कीमत वाले लघु वाणिज्यिक वाहन।

यह वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 102205010 दिनांक 20.09.2022 द्वारा अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(शक्ति सिंह राठौड़)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
3. विशिष्ठ सहायक, माननीया उद्योग मंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, महोदया, राजस्थान, जयपुर
5. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर
6. प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
7. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, उद्योग एवं एमएसएमई विभाग,जयपुर
8. आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान, जयपुर
9. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर
10. संभागीय आयुक्त (समस्त) राजस्थान
11. जिला कलेक्टर, (समस्त) राजस्थान
12. निदेशक, प्रिन्टिंग एवं स्टेशनरी, राजस्थान, जयपुर को मय सीडी के भेजकर निवेदन है कि अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन हेतु निर्देशित करें।
13. वित्तीय सलाहकार, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग,राजस्थान, जयपुर
14. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, (समस्त)
15. रक्षित पत्रावली

संयुक्त शासन सचिव